छत्तीसगढ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक.02 /वि.स./सं.–/10 रायपुर, दिनांकः–07.10.2010

//निविदा विज्ञापन//

छत्तीसगढ विधानसभा सचिवालय प्रतिष्ठित फर्मस् के द्वारा निर्मित अच्छी गुणवत्ता की 06 कुर्सियों वाली राउंड टेबल, कुर्सियां, सोफा सेट्स एवं विभिन्न आकार की सेन्ट्रल टेबल क्रय करने हेतु पंजीकत प्रतिष्ठित फर्मो से निविदाएं दिनांक 08 नवम्बर, 2010 को सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं । निविदा की विस्तृत जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती हैं। जानकारी विधानसभा की वेबसाइट www.cg vidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

सचिव
छत्तीसगढ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

(निविदा की शर्तें)

1. सामग्रियों की दर प्रति नग समस्त कर सहित तथा दरों की वैद्यता अवधि उल्लेखित करते हुए देनी होगी . (करों की जानकारी भी पृथक से संलग्न करना होगी)
2. निविदाकर्ता फर्म को प्रत्येक सामग्री का विस्तृत स्पेसिफिकेशन एवं फोटो युक्त कोटेशन आदि भी देना होगा ।
3. निविदाकर्ता को वाणिज्य कर पंजीयन एवं विगत तीन वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण–पत्र की प्रति भी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी .
4. मुहरबंद निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का राशि रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव , छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर के नाम से देय पृथक लिफाफे में संलग्न करना होगा । चयनित फर्म का डिमांड ड्राफ्ट वारंटी अवधि के पश्चात् वापस किया जाएगा और इस राशि पर सचिवालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा .
5. सामग्री का नमूने का प्रदर्शन क्रय समिति के समक्ष विधानसभा सचिवालय द्वारा सूचित करने पर निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय से करना होगा .
6. स्वीकृत निविदाकर्ता फर्म को सामग्री विधानसभा भवन , रायपुर में प्रदायगी आदेश की तिथि से 15 दिवस की अवधि में प्रदाय करनी होगी .
7. आदेशित सामग्री निर्धारित गुणवत्ता में निर्धारित समयावधि में प्रदान न करने पर जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी एवं संबंधित फर्म का नाम काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी .
8. कुर्सियां 120 नग , राउंड टेबल 20 नग , 30 नग टू–सीटर सोफा , 30 नग सेन्ट्रल टेबल क्रय किया जाना अनुमानित हैं । अनुमानित मात्रा में कमी व वृद्धि संभव हैं .
9. निविदाकर्ता फर्म को प्रदाय सामग्री की वारंटी की अवधि का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से करना होगी .
10. निविदा प्रस्ताव विधान सभा भवन स्थित संपदा शाखा या उप सचिव (संपदा) के पास दिनांक 08 नवम्बर, 2010 को सायं 4:00 बजे तक जमा किया जा सकता हैं .
11. निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी साथ ही निविदा को मान्य व अमान्य करने का प्राधिकार सचिव , छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।